कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1850

दिनांक : 22-01-2021

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषयः– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)** की अन्तिम स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्रांक एफ 14 ( ) 2019/झालावाड़ रोडस/एफसीए/प्रमुवस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किषनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर.–227) हेतु 0.9990 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्वान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षो के पातन सहित निम्न षर्तो की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :–

(अ) एफ.आर.ए. प्रति– श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा क्रमांक 1314 दिनांक 15.01.2021 को दी गई एफ.आर.ए. की प्रति।

(ब) आपका पत्र क्रमांक 1847 दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये चालान में दशाई गई राशि की प्रति जो वर्क्स अकाउटं मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त की गई।

(स) सैद्धान्तिक स्वीकृतियाः–

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवा दिया जायेगा।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवा दी जायेगी।

11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)

14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

15. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

17. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सा.नि.वि द्वारा उपरोक्त शर्तो की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार पेज नं. 1 से 23

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई)सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग, कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत झालावाड़।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1851

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1852 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

(7)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1853

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

e

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1894 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

(9)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1855

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Offic Letter New__5

e

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1856

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1857 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1864

दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

e

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1862 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1863 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल **OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal)** द्वारा सृजित ई—चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1864 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

(15)

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1865 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

e

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1366 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1867 दिनांक : 22.1.21

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (107) वन/2020
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:-22 OCT 2020

विषय:- Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)(FP/RJ/ROAD/43002/2019).

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 ( )2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुख/2767 दिनांक 29.9.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किशनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर-227) हेतु 0.9990 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) की सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पौधे वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटे जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ पौधों को बिना अनुमति के हटाया नहीं जावेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/लाइन के आस-पास स्थापित स्थल के लिए किसी भी प्रकार की कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड सोटियाझोर से सौ मीटर की दो एनपीटी का निर्माण करवायेगी
10. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आस पास वन भूमि की फैंसिंग करवायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission of Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जावेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का एक बैंक चालान/यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण) शासन सचिव

DIPR/C/10005/20

दो साल से नहीं मिली कोई हिट फिल्म

सोनम के कैरिअर पर एक नजर डालें तो उनकी आखिरी हिट फिल्म 'संजू' थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। 2019 में रिलीज हुई उनकी 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' और 'जोया फैक्टर', दोनों ही फ्लॉप रहीं और इस साल उनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। उन्होंने हाल ही में अपने पिता अनिल कपूर की फिल्म 'एके वर्सेस एके' में कैमियो रोल किया था पर मजेदार बात यह है कि फिल्म में उनका एक भी डायलॉग नहीं था। ऐसा उन्होंने अपने कैरिअर में पहली बार किया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाईप ||| खौड़ल्य (इटावा) जिला कोटा (राज.) 325004

क्रमांक : 167

दिनांक : 28.12.2020

नीलामी सूचना

केजीबीवी टाईप ||| छात्रावास खौड़ावदा इटावा में नाकारा/अनुपयोगी घोषित सामान पुस्तांकित मूल्य राशि रू. 554024 (रूपये पांच लाख चौवन हजार चौबीस मात्र). का निम्नलिखे खुली नीलामी द्वारा छात्रावास परिसर में दिनांक 04.01.2021 (सोमवार) प्रातः 11:00 बजे गठित नीलामी कमेटी द्वारा किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक एवं नियत समय पर उपस्थित होकर अमानत राशि रू. 500/- जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है। नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं सामान का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में छात्रावास परिसर में किया जा सकता है। बोलीदाता फर्म का GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

(श्रीमती मीना राठौड़)

(डॉ. मोहम्मद शरीफ खान)

प्रभारी केजीबीवी, मो. 7976605876

नोडल प्रभारी, मो. [illegible]

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: एफ-11/लॉटरी/2020/

दिनांक: 28.12.2020

विज्ञप्ति

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना के आवास मय पशु बाड़ा में सर्वे सूची के अनुसार प्राप्त आवेदनों की लॉटरी दिनांक 21.12.2020 न्यास परिसर में निकाली जा चुकी है। न्यास द्वारा दिनांक 29.12.2020 एवं 30.12.2020 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक आवंटन पत्र वितरण एवं बैंक ऋण हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अतः योजना के सफल आवंटियों को सूचित किया जाता है कि न्यास परिसर में उपस्थित होकर आवंटन पत्र प्राप्त कर लेवें।

जो आवंटी बैंक ऋण लेने के इच्छुक है वे आवंटी न्यास परिसर में आयोजित शिविर में इन्डसइंड बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही निम्नांकित मूल एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति साथ लावें।

1. 03 पासपोर्ट साईज फोटो
2. आधार कार्ड
3. पेन कार्ड
4. बैंक स्टेटमेंट 12 माह
5. व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट: urban.rajasthan.gov.in/uitkota

दिनांक:-07.12.2020

एफ 11/नीलामी/2020/2759

ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

नगर विकास न्यास द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पं. मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना में खेड़ा जगपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड को नीलाम किया जा रहा है। यह भूखण्ड एन.एच. 12, 200' फीट पर स्थित है। यह भूखण्ड न्यास की नव विकसित फार्म हाउस योजना एवं आर.टी.ओ. ऑफिस के समीप स्थित है। यह भूखण्ड शहर के समीप एवं रीको संस्थान व औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित है। न्यास की आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 29-12-2020 प्रातः 11.00 बजे से शुरू होगा तथा दिनांक 31-12-2020 को दोपहर 1.00 बजे समाप्त हो जाएगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम/ शर्तें एवं अन्य जानकारी urban.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में न्यास में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है अथवा दूरभाष 0744-2500539/(Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

ई-ऑक्शन के माध्यम से न्यास की पं. मदन मोहन मालवीय फॉर्म हाउस योजना खेड़ा जगपुरा में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल (1600 वर्गमीटर)

प्रारम्भिक नीलामी दर:-30000/-प्र.व.मी.

आरक्षित दर:- 3500/-प्र.व.मी., धरोहर राशि:- 960000/-

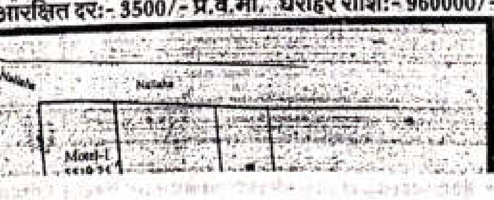

MUNICIPAL CO[illegible]

RAJEEV

Tel: 0744-2502345

NNO.-NNK(N)/P.H/2020/1648-55

The MCK invites unconditio[illegible] works from all interested firms

Name of work	
Manual Segregation of waste on all Transfer Stations located in NMCK	4

1. Earnest money and cost [illegible] the name of Aayukta Na[illegible] CORPORATION KOTA.
2. The provisions of RTPP Ac[illegible] Furthermore, in case of an[illegible] the RTPP Act 2012 and Ru[illegible]

कार्यालय

-: राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासी[illegible]

न्यास कोटा में S.S.O. आईडी के माध्यम [illegible] आईडी के माध्यम से लॉगइन करना होगा। [illegible] की विस्तृत शर्तें यूआईटी कोटा की वेबसाइट [illegible]

नोट: सभी नीलामी कार्यक्रम प्रारम्भ होने [illegible]

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड की साईज

Scanned with CamScanner

...of forestry activities executed under CAMPA during 2014-15 to 2016-17. More details are provided in the RFP documents. Period of sale of documents is from 22nd December, 2020 to 11.00 hrs. on January 5, 2021. The RFP document for the required services along with the terms of reference, scope of work and other details can be downloaded from the website www.eproc.rajasthan.gov.in. The cost of document is Rs. 2000 and bid security amount which is to be paid by enclosing DD in favour of Conservator of Forests and T.A. to Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Rajasthan, Jaipur payable at Jaipur. RISL fee of Rs. 500 is to be paid by DD in favour of Managing Director, RISL payable at Jaipur. Any Bid submitted without the payment of bid document price, processing fee and EMD (bid security) would be rejected. The last date of on-line submission of RFP is upto January 5,2020, 15.00 hrs. on the Website www.eproc.rajasthan.gov.in Tender ID 2020_FORES_208572_1

Address for communication: Conservator of Forests and T.A. to Principal Chief Conservator of Forest (HoFF) Rajasthan, Jaipur Rajasthan India PIN302004. Tel.NO. Ph: 0140-2700016/2700152/2713852/2713814

Additional Principal Chief Conservator of Forest (M&E), Rajasthan, Jaipur

DIPR/C/9991/2020

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.1(107)वन/2020 जयपुर, दिनांक:- 22 OCT, 2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)(FP/RJ/ROAD/43002/2019)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ 14( )2019/झालावाड रोड्स/एफसीए/प्रमुनस/2767 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में झालरापाटन, गिंदोर रेलवे स्टेशन झिकरिया किशनपुरा दुर्गपुरा गागरोन (एम.डी.आर.-227) हेतु 0.9990 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Diversion of 0.9990 ha. of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) को सैद्धान्तिक स्वीकृति 20 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वो वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटे जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि में निर्माण कार्य के हेतु मिट्टी/पत्थर ... का कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनका प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाखेड़ी से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पैच के आस पास वन भूमि की फेंसिंग करवायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring Of forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा को जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा को जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से मानवीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

DIPR/C/10005/2020

...Pradesh, Rajasthan and West Madhya Pradesh during next 24 hours on Friday.

New Year revellers have to be aware that there will be dense to very dense fog with visibility under 50 metres in some parts of northern India till January 1. IANS

23

TIMES inter...

jobs | **tender & notices** | **per...**

SITUATION VACANT

MEDICAL

MEDICAL

REQ. Gen. Physician, Gen. Surgeon. Salary Negottable - Vijay Hospital, Bharatpur (Raj.), vijay.hospital@rediffmail.com, 9352731498

business

BUSINESS OFFERS

MY Earning is Rs20,000+/Day* See my Passive Earning Proof. Start-up Amt: Rs.12,000+ once*. Earn Rs.50,000 to Rs.2 Lakh/M. Zoom FEE - Rs.201 adjustable*. CALL me 4 Times: 91136 52397

CONSULTANTS

REQUIRE consultant for automated JUTE BAG/PP NON WOVEN RICE bag at uttarakhand-jute2021@gmail.com, 7838319903

TENDERS

E-AUCTION NOTICE
(FIRE AFFECTED APPROX. 230 MT OF BURNT COTTON WASTE)

E-Auction forms are invited from interested buyers for disposal, strictly on "As Is Where Is" basis, on 'Per Kg basis', for Fire Affected Approx. 230 MT of Burnt Cotton waste belonging to **M/s. Lovely Spintex.** Salvage of the above materials can be inspected at 26 Mile Stone, NH-79, Bijainagar, Dist. Ajmer, Rajasthan, between **01/01/21 to 11/01/21**, after taking prior appointment from Mr. Manoj Maheshwari - 9414008342. E-Auction to be held on **12/01/21.** For E-Auction forms, **Contact Mr. Atul Halarnkar at Mob: - 9315902436** of
Salvage Settlers Private Limited (Auctioneers)
Registered Address: - RP-22, 2nd Floor, Pitampura, New Delhi-110034 or download from website: www.SalvageSettlers.com. Last date for submission of E-auction form is **11/01/21** before 4.00 PM.

CHANG...

IN my army Dob is reco... as 05.07.1987 ... is 23.07.1986 ... pose. Army ... Kailash Cha... ka Bass, R... Distt.- Sikar

I prabhu lal ... to correct my ... my service r... correct nam... and incorrec... ...vi.

I, No. 270... Rajveer Sin... Cast Jat ... dhani Bara... District JH... do hereby ... that, in my s... wife name S... mistake. his ... real name ... MARI New r... all purpose.

I have chang... Mitthu Lal ... thoo Lal Pr... Lal Prajapa... Add. Vill. M... Dist. Udaip...

I have ch... Ruksana Be... w/o Mohan ... wn in futu... Ruksana Idr... pura Kota.

I JC no 6683... Jitendra Ku... changed na... porson of n... harsh to Ha... affidavit no... 30/12/2020.

I, Mahave... Shri Phool... resident o... anpura, Tel... Bhilwara i... that: My o... date of birt... by mitake r... istered n... 04.10.1999 ... ments (Arn... general not... declare tha... corded da... 01.05.2001 ... correct.

I JC no 668... Jitendra Ku... changed n... porson of ... daughter ... Sharma v... AP 230087 ...

I have chan... Gopal Kri... Gopal Kris... ture I will... new name ... Sharda s/... Sharda ... nagar 3rd ...

TIMES inter...
NEW YEAR SPECIAL

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times Of India Group doesn't vouch for any claims made by the Printer, Advertisers of products and services. The Printer, Publisher, Editor, and Owners of The Times Of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

Scanned with CamScanner

②

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांकः– 1847 दिनांकः– 22/1/2021

श्रीमान उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषयः– Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) Proposal Number FP/RJ/Road/43002/2019.

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक एफ ( ) एफसीए / उवसं / 2020–21 / 233 दिनांक 12.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor Railway Station Jhirniya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) का संशोधित डिमाण्ड नोट राशि रू. 769330/– का जारी किया गया था। उक्त डिमाण्ड नोट टी.वी. नं. 58933 दिनांक 21.01.2021 से राजस्थान केम्पा में ऑन लाईन जमा करा दी गई है (ट्रेजरी वाउचर प्रति संलग्न)।

प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो की पूर्ण पालना कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

230

E:\My Document\E.E. Sir\Hindi letter.doc

Scanned with CamScanner

③

WORKS ACCOUNT MONITORING SYSTEM
Public Works Department, Jaipur
XEN PWD DN. JHALAWAR

Financial Year: 2
Version:

Date: 22-Jan-2021 Active Users:277 , Auto Logout after 19:56Minutes Logged in by: audit.16598 Circulars Manual Logout

Master Options Allocations v/s Expenditures Treasury Processing Add New Transaction Reports
Treasuey Vocuhers

Select criteria again

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAMPA ,Bill Created From: 01-01-2021 to 22-01-2021)

no	RefNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChallanNo	TVDate	When Udpated From PayManager
1.	2517819	18/01/2021	10724	Vendor Payment Bill	3054-04-800-02-01-21-V-P	769330	RAJASTHAN CAMPA	769330	58933	21/01/2021	Passed

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) एफसीए / उवसं / 2020–21 / 233 दिनांकः 12/01/2021

निमित :–

अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड–प्रथम, झालावाड़.।

विषय :– Rehabilitation of jhalrapatan ,Gindor,Railway station Jhikriya, Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227)
PROPOSAL NUMBER (FP/RJ/ROAD /43002 /2019)

संदर्भ :–शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(107) वन/2020 दिनांक 22.10.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 10852 दिनांक 10.11.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र जो कि आपको भी पृष्ठांकित है से शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकरण की सैद्वांतिक स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गयी है। सैद्वांतिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर में 213/–रू से 225/–रू हो गई है। अतः श्रमिक दर 225/–रू के अनुसार संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र. स.	शर्त संख्या	मद	पूर्व में मांग राशि श्रमिक दर में 213/–रू.	संशोधित मांग राशि श्रमिक दर में 225/–रू	शुद्ध देय राशि
1	शर्त संख्या 13	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.999 @ 144100	136693	143956	143956
2	शर्त संख्या 14	एनपीवी की राशि 0.999 @ 626000	625374	-	625374
		योग			769330

कुल देय राशि– सात लाख उनसत्तर हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र

अतः आप उक्त राशि कैम्पा अकाउन्ट मे ऑनलाईन जमा करवाकर प्रकरण की सैद्वांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तो की पुर्ण पालना सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(हिमन्त सिंह IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( ) एफसीए / उवस / 2020–21 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान।
2.संभागीय मुख्य वन सरक्षक कोटा।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

Scanned with CamScanner

11

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक :– 1197

दिनांक :– 1/10/2021

श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड़

विषयः– Diversion of 0.9990 ha. of forest land in fovour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019).

प्रसंगः– श्रीमान् विशेषाधिकारी वन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (107) वन/2020 दिनांक 22.10.2020 एंव आपके पत्र क्रमांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2021–22/7958 दिनांक 02.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि Diversion of 0.9990 ha. of forest land in fovour of Public Works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan. Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) (FP/RJ/ROAD/43002/2019). वन भूमि प्रत्यावर्तन की सेद्धातिंक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट में जो आक्षेप लगाये थे । निम्न आक्षेपो की पूर्ति कर दी गई है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

आक्षेप संख्या	आक्षेप	प्रत्युत्तर
8	प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्य जीवो के आवागमन हेतु तीन अण्डरपास जो की पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता ऐजेन्सी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (वड़े शाकाहारी वन्य जीवो के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।	प्रत्युत्तर संलग्न है।
9	प्रयोक्ता ऐजेन्सी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटिया झीर से 100 मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी।	प्रत्युत्तर संलग्न है।
10	प्रयोक्ता ऐजेन्सी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगी और भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेच के आसपास वन भूमि की फेंसिग करवायेगी।	प्रत्युत्तर संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आर.के.सैनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ o/c

क्रमांक :– 1197

दिनांक :– 1/10/2021

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत झालावाड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ o/c

E:\My Document\Sub. div\Sub Dn. Letter.doc

Scanned with CamScanner

/

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1192 दिनांक : 01-10-2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल के पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेन्सी निर्धारित मापदण्डो अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) अण्डरों पास का निर्माण करवा दिया गया है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1193

दिनांक : 01.10.2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर रेलवे पुलिया के समीप वन भूमि में 2 तलाईया बना दी गयी है।

(आर.के.सैनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1194 दिनांक : 01.10.2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Diversion of 0.9990 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) () Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/43002/2019 Dt. 02.12.2019)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क के पास वन भूमि पर यदि भविष्य में कभी कोई अतिक्रमण होता हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अतिक्रमण हटाने में वन विभाग का सहयोग करेगा। वर्तमान में अतिक्रमण रोकने हेतु रेलवे स्टेशन के समीप वाले पेंच के आस पास वन भूमि की फेंसिग करवा दी गई है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Scanned with CamScanner

(1)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

No. 1314 Date 15.1.2021

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.999 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for construction of Rehabilitation of Jhalrapatan, Gindor, Railway Station Jhikriya Kishanpura Durgpura Gagron (MDR-227) in Jhalawar District falls within jurisdiction of Jhalrapatan & Ganwari village(s) in Jhalrapatan tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.999 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sbha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure(X)

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

Signature

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

No. 1314

Date 15.1.2021

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

(District Collector & Disrtrict Magistrate)

Jhalawar

Scanned with CamScanner